

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 17/6/22

प्रकरण संख्या - 254

खाना पुत्र उगमा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जालम की झोपडीया तहसील माण्डलगढ
जिला भीलवाड़ा (राज)

प्रार्थी

बनाम

01. नन्दा पुत्र दल्ला जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. देबीलाल पुत्र देवा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. मोहनलाल पुत्र गोकल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. राधेश्याम पुत्र गोकल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. लक्ष्मण पुत्र रूपा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 17-6-2022

प्रार्थना पत्र खाना पुत्र उगमा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जालम की झोपडीया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा तीखी पटवार हल्का बिजौलियाँ खुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 14 पर अंकित आराजी संख्या 205/154 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया खुर्द को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500/- रूपये तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा तीखी पटवार हल्का बिजौलियाँ खुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 14 पर अंकित आराजी संख्या 205/154 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि बशामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 254

तारीख 17/6/22

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 254 / 2022 पत्थरगढी बाबत।

खाना पुत्र उगमा जाति भीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी जालम की झोपडीया तहसील माण्डलगढ
जिला भीलवाडा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

01. नन्दा पुत्र दल्ला जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
02. देबीलाल पुत्र देवा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
03. मोहनलाल पुत्र गोकल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
04. राधेश्याम पुत्र गोकल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
05. लक्ष्मण पुत्र रुपा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा तीखी पटवार हल्का बिजौलियाँ खुर्द तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 14 पर अंकित आराजी संख्या 205/154 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर बिजौलियाँ खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/-तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

8
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ भीलवाडा